

बनाम नाम राखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(विशेष निदेशिका) भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिश्रित संख्या 9121/22

निर्णय दिनांक :- 11.11.2022

उपस्थित प्रमाण :

बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए. बनाम तहसीलदार.....

उपस्थित प्रमाण

तहसीलदार.....

.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

बनाम बनारजमल निवासी धुवाक ने प्रशासन गांवो के संघ धुवाक के माध्यम से शासनालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम धुवाक जमाबंदी 2012-76 के खाता संख्या 437 में दर्ज प्रार्थी का नाम बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए. के स्थान पर बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए. दुरुस्त करने के लिए निवेदन करने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर लक्षण बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए. का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार डी.डी.ए.ए. से कराई गई। तहसीलदार डी.डी.ए.ए. ने पटवार हल्का धुवाक व भू0अ0नि0 धुवाक की रिपोर्ट सहायक जमीन कार्यालय उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की। तहसीलदार डी.डी.ए.ए. से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 136 के राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज- 2012/19 के सहित तहसीलदार डी.डी.ए.ए. को वाके ग्राम धुवाक जमाबंदी संवत् 2012-76 के खाता संख्या 437 में दर्ज बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए. के स्थान पर बनारजमल पुत्र डी.डी.ए.ए.

दुरुस्त करने के लिए अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार को भेजी जायेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दारिल पर होगा।

निर्णय के तारे इजलास, कैम्प धुवाक में सुनाया गया।

डी.डी.ए.
उपखण्ड अधिकारी
देवली